



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को 03 वर्ष तथा अन्य 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 16,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 893/2015 धारा-354,294,323,504 भा0द0सं0 व 8 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह को 03 वर्ष तथा अन्य 03 अभियुक्तगण 1.सत्तीदीन पुत्र छकुआ 2.जय सिंह पुत्र सत्तीदीन 3. जगत सिंह पुत्र सत्तीदीन निवासीगण बिहुनी खुर्द थाना मुस्करा को दोष सिद्ध करते हुए 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 16,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



अभियोजक-  
एडीजीसी अवधनरेश  
सिंह चन्देल



विवेचक-  
उ0नि0 रामसनेही  
पाल



पैरोकार- थाना मुस्करा  
का0 ज्ञानेन्द्र सिंह